न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी — जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 52/2021

श्री सीमेंट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ नगर, ब्यावर, जिला अजमेर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि स्वदेश सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह, आयु 49 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी बांगड़ नगर, ब्यावर, जिला अजमेर (राज0)

—प्रार्थी

—बनाम—

1. माफी मंदिर श्री गोपाल जी निवासी ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. बजरंगलाल पुत्र भोलूदास पूजारी माफी मंदिर श्री गोपाल जी निवासी ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं (राज.)
3. बालूराम उर्फ बालूदास पुत्र भोलूदास पूजारी माफी मंदिर श्री गोपाल जी निवासी ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं (राज.)
4. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग जयपुर, तहसील व जिला जयपुर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं (राज.)

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>

उपस्थिति :—

1. श्री अमित कुमार अधिवक्ता................................प्रार्थी की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से।

—निर्णय—

दिनाक 01.08.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को खान एवं भू विज्ञान राजस्थान सरकार द्वारा खनन पट्टा एम.एल. नं. 47/2007 खान ग्रुप—2 विभाग के आदेश क्रमांक प.2(113) खान/ग्रुप—2/2007/ दिनांक 12.04.2019 के आदेश द्वारा खनन पट्टा बाबत खनिज लाईमस्टोन निकालने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:43 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

परसरामपुरा (गोठड़ा), तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं में 6.24 वर्ग कि.मी. भूमि हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त खनन पट्टा राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है, उक्त खनन पट्टा की लीज डीड दिनांक 18.04.2019 को निष्पादित की जाकर दिनांक 08.05.2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त खनन पटटा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठडा) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध में समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। लीजडीड के अनुसार प्रार्थी को ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ में स्थित भूमि जिनके खसरा नम्बर पृथक पृथक है के खातेदारान से भूमि अवाप्त कर कम्पनी खनन कार्य करने हेतु प्रकियाधीन है। ग्राम गोठड़ा के खसरा संख्या 1182 रकबा 3.3500 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 व 2, खसरा संख्या 1193 रकबा 0.1100 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 1194 रकबा 0.4000 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 व 2, खसरा संख्या 1196 रकबा 0.1100 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 1197 रकबा 1.5900 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 व 2 कुल रकबा 5.5600 हैक्टेयर भमि खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 माफी मंदिर श्री गोपाल जी निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ की खातेदारी भूमि है। जो प्रार्थी ईकाई को खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र में स्थित है, जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन तथा समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन पटटा क्षेत्र के उक्त भाग में खनन कार्य नही कर सकते तथा इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी अपने उद्योग को नही चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदान कराना आवश्यक है। अप्रार्थी की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी कम्पनी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अं0 धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर उपरोक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण कर भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य व समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तारीख पेशी की सूचना नकल प्रार्थना पत्र के साथ भेजकर दी गई। क्षतिपूर्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gaur
Date: 2022.08.05 12:01:43 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

मुआवजा/मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। मौका जांच/मुआवजा क्षतिपूर्ति रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि– प्रार्थी कम्पनी को खान एवं भू विज्ञान राजस्थान सरकार द्वारा खनन पटटा एम. एल. न. 47/2007, खान ग्रुप–2 विभाग के आदेश क्रमांक प.2(113) खान/ग्रुप–2/2007/ दिनांक 12. 04.2019 के आदेश द्वारा खनन पट्टा वास्ते खनिज लाईमस्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठड़ा), तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं में 6.24 वर्ग कि.मी. भूमि खनन कार्य हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त खनन पट्टा राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है, उक्त खनन पट्टा की लीज डीड दिनांक 18.04.2019 को निष्पादित की जाकर दिनांक 08.05.2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त खनन पटटा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठडा) तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध मे समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। लीजडीड के अनुसार प्रार्थी को ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ में स्थित भूमि जिनके खसरा नम्बर पृथक–पृथक है के खातेदारान से भूमि अवाप्त कर कम्पनी खनन कार्य करने हेतु प्रकियाधीन है। ग्राम गोठड़ा के खसरा संख्या 1182 रकबा 3.3500 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 व 2, खसरा संख्या 1193 रकबा 0. 1100 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 1194 रकबा 0.4000 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 व 2, खसरा संख्या 1196 रकबा 0.1100 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 1197 रकबा 1.5900 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 व 2 कुल रकबा 5.5600 हैक्टेयर भमि खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 माफी मंदिर श्री गोपाल जी निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ की खातेदारी भूमि है। जो प्रार्थी ईकाई को खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र में स्थित है। जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन तथा समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन पटटा क्षेत्र के उक्त भाग में खनन कार्य नही कर सकते तथा इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी अपने उद्योग को नही चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदान कराना आवश्यक है। अप्रार्थी की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी कम्पनी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अं0 धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:43 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

कर उपरोक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण कर भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य व समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 1 मन्दिर श्री गोपाल जी जरिये पूजारी, अप्रार्थी संख्या 2 बजरंगलाल व अप्रार्थी संख्या 3 बालूराम ने लिखित में सहमति व्यक्त की है कि नियमानुसार अवार्ड पारित करने मे किसी प्रकार उनको कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। ग्राम गोठड़ा के खसरा संख्या 1182 रकबा 3.3500 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 व 2, खसरा संख्या 1193 रकबा 0.1100 हैक्टेयर किस्म बारानी--1, खसरा संख्या 1194 रकबा 0.4000 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 व 2, खसरा संख्या 1196 रकबा 0.1100 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 1197 रकबा 1.5900 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 व 2 कुल रकबा 5.5600 हैक्टेयर भमि राजस्व रिकार्ड में माफी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज है चुंकि उक्त भूमि पर हम सहमति कर्ता का कब्जा काश्त था। उक्त भूमि राजस्थान सरकार द्वारा श्री सीमेन्ट लि के पक्ष में खनन कार्य हेतु माईनिंग लीज का आवंटन किये जाने के कारण उक्त भूमि का कब्जा कम्पनी को सुपुर्द कर दिया है। उपरोक्त भूमि का मुआवजे का निर्धारण मानंनीय न्यायालय द्वारा देवस्थान विभाग के पक्ष में किया जाता है तो उसमें हमारी पूर्ण सहमति है एवं कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा निर्धारण की स्थिति में उनके द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि मे किसी प्रकार का क्लेम नही किया जावेगा।

अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के लिखित में प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति मुआवजा रिपोर्ट के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि माफि मन्दिर श्री गोपाल जी के मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार आयुक्त देवस्थान विभाग के पक्ष मे किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी ने प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(1) प्र.सु./अनुभाग–3/2015 जयपुर दिनांक 19.01.2015 की प्रति पेश कर निवेदन किया कि उक्त मंदिर एवं इसकी संपत्ति के प्रबंधन एवं व्यवस्था के लिये एक कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में समस्त कार्यवाही उक्त कमेटी द्वारा ही की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:43 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

मैने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रशासनिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 6(17) प्र.सु./अनु. 3/2002 जयपुर दिनांक 07.12.2009 का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी कम्पनी को माईनिंग लीज प्राप्त है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी ईकाई की माईनिंग लीज क्षेत्र ग्राम गोठड़ा के खसरा संख्या 1182 रकबा 3.3500 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 व 2, खसरा संख्या 1193 रकबा 0.1100 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 1194 रकबा 0.4000 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 व 2, खसरा संख्या 1196 रकबा 0.1100 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 1197 रकबा 1.5900 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 व 2 कुल रकबा 5.5600 हैक्टेयर भूमि खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 माफी मंदिर श्री गोपाल जी निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ की खातेदारी भूमि है। जो लीज क्षेत्र में आयी हुई है। तहसीलदार नवलगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 3,65,961/–रुपये प्रति हैक्टेयर होती है तथा प्रश्नगत भूमि नगरपालिका क्षेत्र से 16 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। तहसीलदार नवलगढ की मौका जांच रिपोर्ट में उक्त आराजियात पर स्थित पेड़ पौधो की संख्या एवं कीमत अंकित की गई है। खनन एवं समनुषंगी कार्यो हेतु प्रार्थी को उक्त भूमि की आवश्यकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 (4) के अनुसार खनिज सम्पदा के दोहन से यदि किसी व्यक्ति के अधिकारो का उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति को सुना जाकर राज्य सरकार या उसका अभिहस्तांकिती ऐसे व्यक्तियो को इस प्रकार के उल्लंघन के लिये प्रतिकर देगा एवं ऐसे प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण भू अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार इस न्यायालय द्वारा किया जाना है।

राजस्व (ग्रुप 6) विभाग अधिसूचना क्रमांक पं.1(3) राज–6/2011/पार्ट/14 दिनांक 16.10.14 के अनुसार प्राईवेट कम्पनी द्वारा भूमि अर्जन करने की स्थिति में पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थान के प्रावधान लागू करने के लिए अवाप्ति भू क्षेत्र की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 हैक्टेयर तथा शहरी क्षेत्र में 200 हैक्टेयर है। प्रार्थी कम्पनी का अवाप्ति क्षेत्र उक्त सीमा से कम होने से उक्त प्रावधान लागू नही होते है। भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में नया भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 दिनांक 1 जनवरी 2014 से लागू होकर, उनके प्रावधानों के अनुसार ही भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया एवं भूस्वामियों को दिये जाने वाले मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। चूंकि राज्य सरकार की ओर से भूमि अवाप्ति के

Signature Not Verified
Digitally signed by: Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:43 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

सम्बन्ध में अलग से कोई भूमि अवाप्ति अधिनियम लागू नही किया गया है। अतः प्रकरण में नये एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। नये भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मैं उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचि प्रथम में भूमि धारको को प्रतिकर के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसके क्रम संख्या 1 से 6 के अन्तर्गत कुल प्रतिकर की गणना किस प्रकार की जायेगी, का क्रमवार उल्लेख किया गया है एवं उक्त अनुसूचि की क्रम संख्या 2 के अनुसार दिये जाने वाले प्रतिकर के कारको 1 से 2, जो कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट की दूरी पर आधारित होगा, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जावे, क्रम संख्या 4 में भूमि से जुडी हुई सम्पतियों के निर्धारण एवं क्रम संख्या 5 में तोषण का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा, का उल्लेख किया गया है।

तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की दूरी निकटतम नगरपालिका क्षेत्र से 16 कि.मी. है एवं उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना क्रमांक प01(3)राज. 6/2011/पार्ट/26 दिनांक 14.06.2016 में उल्लेखित भूमि का गुणक, जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जायेगा, वह 1.50 है तथा गुणित किये गये उक्त बाजार मूल्य में एक्ट की अनुसूचि के प्रावधानों के अनुसार पेड़ पौधों व संपति की कीमत को जोड़ा जाना है एवं धारा 30 (1) के अनुसार ऐसी राशि की शत प्रतिशत तोषण की राशि होगी। प्रार्थी को राज्य सरकार के खनन विभाग द्वारा विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु पट्टा 50 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया गया हैं, जिसके सहायक कार्य हेतु प्रश्नगत भूमि चाही जाने से इस भूमि के खातेदार के सरफेस राईट का उल्लंघन होगा। जिसके लिये अप्रार्थी को प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एंव परिस्थितियों को देखते हुयें प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र मंदिर श्री गोपाल जी खातेदारी में अंकित है, जो एक अराजकीय मंदिर होने से इसके नाम खातेदारी भूमि की प्रतिकर राशि आयुक्त देवस्थान विभाग के निजी निक्षेप खाते में जमा कराई जावे। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी आज्ञा संख्या प. 6 (1) प्र.सु./अनु. 3/2015/19.01.2015 के द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी प्रतिकर से प्राप्त सम्पूर्ण राशि से देवस्थान विभाग के पत्रांक प. 5 (9) देव/2003/जयपुर [illegible] 02.2015 के अनुसरण में कृषि योग्य भूमि क्रय कर [illegible] पर मुआवजा राशि प्राप्त हुई है। उक्त मंदिर को क्रयशुदा [illegible] आवंटित/उपलब्ध कराई

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:43 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

जाने के आदेश दिये जाते है। अतः प्रतिकर का निर्धारण निम्नानुसार सारणी के अनुरूप किया जाता हैः–

क्रं. सं.	खातेदार का नाम जिसका विवरण जमाबंदी में अंकित है	खसरा नं.	रकबा जिसका प्रतिकर निर्धारण किया जाना	भूमि किस्म	डी.एल. सी.दर प्रति हैक्टेयर	राशि (कालम संख्या 3x5)	नगर पालिका से दूरीकिमी मे व उसके अनुसार गुणक		कुल राशि (कॉलम संख्या 6 x 8) रु.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	माफी मंदिर श्री गोपाल जी	1182	3.3500 हैक्टेयर	बारानी–1व 2	365961	1225969	16	1.50	1838954
		1193	0.1100 हैक्टेयर	बारानी –1	365961	40256	19	1.50	60384
		1194	0.4000 हैक्टेयर	बारानी –1व 2	365961	146384	19	1.50	219577
		1196	0.1100 हैक्टेयर	बारानी –2	365961	40256	19	1.50	60384
		1197	1.5900 हैक्टेयर	बारानी –1व 2	365961	581878	19	1.50	872817
B	योग	5	5.5600						3052116
C	प्रभावित भूमि पर अवस्थित पेड़ो की मालियत								305000
D	अन्य संरचना (धोरा एवं तारबन्दी वगैरा) निर्माण								0
E	योग (कॉलम संख्या B+C+D)								3357116
F	तोषण 100 प्रतिशत (कॉलम E के समान राशि)								3085374
G	कुल देय प्रतिकर राशि (E+F)								6714232

अतः आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त मुआवजा राशि के पूर्णांक राशि रुपये 67,14,232/–अक्षरे (सड़सठ लाख चौदह हजार दो सौ बत्तीस रुपये मात्र) **आयुक्त देवस्थान विभाग,उदयपुर** के नाम से चैक बनाकर तहसीलदार नवलगढ को एक माह की अवधि में उपलब्ध करावे। तहसीलदार नवलगढ उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के सम्बंध में सन्तुष्टि के उपरान्त मुआवजा राशि का भुगतान आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर को [illegible] करेंगे। अपील अवधि गुजरने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में भूमि [illegible] माईनिंग लीज श्री सीमेन्ट लिमिटेड अंकित की जावें। उपरोक्त भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का उपयोग प्रार्थी इकाई को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:43 IST
Reason: Self Attested

लीज अवधि तक प्रचलित नियमों, निर्देशो, लीज डीड व विभागीय परिपत्रो के तहत एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 (2) में वर्णित माईनिंग के सबंधित खनन कार्य व समनुषंगी कार्यो (subsidiary purposes) के लिए ही करने का अधिकार होगा। भविष्य में राज्य सरकार अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा राशि भुगतान में संशोधन किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा अन्तर राशि की अदायगी नियमानुसार की जाएगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार नवलगढ/प्रार्थी कम्पनी/सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा दिनांक 19.01.2015 के द्वारा उपरोक्तानुसार गठित कमेटी के सदस्यों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू(राज.)

अति. जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:43 IST
Reason: SelfAttested